

# प्रकाशित

हिन्दी हिन्दुस्तान - 10.01.16 पृष्ठ 09.

## एमडीएम

### कार्यकारिणी ने ली पद की शपथ

लखनऊ। उप प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के प्रांतीय वाहन चालक संघ की नई कार्यकारिणी ने शनिवार को शपथ ली। विभूतिखण्ड, गोमतीनगर स्थित प्रदेश नियंत्रण बोर्ड के सभागार में सम्पन्न हुए समारोह में मुख्य पर्यावरण अधिकारी (प्रशासन) एसआर सचान व मुख्य पर्यावरण अधिकारी डा. राजीव उपाध्याय मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। उन्होंने नए चालकों की निष्ठा व ईमानदारी की तारीफ की।

नई कार्यकारिणी का चुनाव 15 दिसम्बर को हुआ था। इसमें बक्षराज सिंह अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। इसके अलावा विजय कुमार गोतम को उपाध्यक्ष, बृज किशोर को महामंत्री, राम अनुज त्रिपाठी को संयुक्त मंत्री, कमलेश कुमार को संगठन मंत्री, मो. युनुस को कार्यालय मंत्री, सियाराम द्वितीय को कोषाध्यक्ष, मुनीम सिंह को लेखा परीक्षक चयनित किया गया था। छेदीराम, ओम प्रकाश यादव, रामलाल वर्मा व वशिष्ठ कुमार पाल कार्यकारिणी में सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

## एकीकरण प्रक्रिया से वापस लौटे

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एसपी तिवारी गुट के कार्यकारी अध्यक्ष हरिशरण मिश्र ने जानकारी दी कि वे परिषद में तीन गुटों के एकीकरण की प्रक्रिया से वापस लौट चुके हैं। उन्होंने बताया कि एक मार्च 2015 को प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक में यह निर्णय

लिया गया कि एकीकरण की प्रक्रिया में चूंकि दो पदाधिकारी वर्ष 1979 की कार्मिक विभाग के नियमावली के विपरीत नामित किए गए हैं इसलिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का एकीकरण अवैध है। उस समय एसपी तिवारी ने यह सूचना मुख्य सचिव को दे दी थी।

अभी ग्रामीण क्षेत्र के तीन ब्लॉकों समेत शहरी क्षेत्र के 257 स्कूलों में एमडीएम दे रहा अक्षय पात्र

### आज भोजन

जोकि एक हफ्ते में कार्य करना शुरू 600 किलोग्राम गैस तैयार होगी। इसके मा। इससे एलपीजी गैस की बचत होगी।

### कार्ड बदलाव

अक्षय पात्र ने भोजन बनाने की युनिट में युनिट में पैकिंग से लेकर हॉट कैसरोल व घर ले जाने के लिए बेल्ट तकनीक लगाई गाड़ी में बढ़ाने तक आधे घंटे बचते हैं। वहीं व गैस और आदता को नियंत्रित करने के क की एसी मशीन लगाई है।

जाने के लिए हॉट कैसरोल डिफिन का प्रयोग कर रहा है। 700 अन्य स्कूलों में भी एमडीएम भेजने के जिला प्रशासन ने कहा है। अक्षय पात्र ने पहली मार्च से सभी 1000 स्कूलों में हॉट कैसरोल में एमडीएम भेजने को तैयार हो गया है।

## दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

देशीय कार्यालय: जीवन भवन, द्वितीय तल, 43, हजरतगंज, लखनऊ

### नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

#### निविदा सूचना

1. शेष का 10 लखनऊ उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर रखे क्षतिग्रस्त वाहनों को जहाँ है जैसे हैं के आधार पर बेचना चाहता है। इसके अतिरिक्त रददी कागज, व कम्प्यूटर संबंधी हार्डवेयर मय यूपीएस बैटरी आदि का कबाड़ भी बिक्री हेतु उपलब्ध है। इस हेतु प्रस्ताव सीलबंद लिफाफे पर सम्बन्धित वाहन / सामग्री का विवरण देते हुए निर्धारित प्रारूप में निविदा राशि के 10% का डाफ्ट सहित जो दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के पस में (लखनऊ में देय) हो के साथ दिनांक 22.01.2016 को सायं 5.00 बजे तक क्षेत्रीय कार्यालय जीवन भवन, द्वितीय तल, 43, हजरतगंज, लखनऊ-226001 में प्राप्त हो जाने चाहिए। निविदा के सम्बंध में कंपनी द्वारा जारी कार्य, नियम, शर्तों, संपर्क व्यक्तियों के नाम व नम्बर तथा वाहनों / सामग्री के विवरण आदि कंपनी के मंडलीय व शाखा कार्यालयों में उपलब्ध है।  
2. शेष का 10 अपने विभिन्न कार्यालयों तथा शिक्षायत्री परिसर के रखरखाव हेतु आर्किटेक्ट, बटवाई, मिन्नी पेंटर, प्लम्बर एवं सफाई भजदूर के ठेकेदारों को भी पैनलबद्ध करने का इच्छुक है। इस कार्य के अनुमती ठेकेदार अपने प्रस्ताव ऊपर दिये पते पर 22.01.2016 तक जमा कर सकते हैं। समस्त विस्तृत जानकारी कंपनी की वेब साइट [www.orientalinsurance.org.in](http://www.orientalinsurance.org.in) पर भी उपलब्ध है। कंपनी इस निविदा की शर्तों में संशोधन करने तथा किसी भी निविदा / प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक

## आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त उ.प्र.

### देश को भ्रष्टाचार/कुप्रशासन मुक्त बनाने हेतु

#### शिकायत तथा अभिकथन कैसे करें

2012 से प्रदेश के लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त को अभिकथन तथा शिकायती परिवार पर तीन प्रतियों में (यथासंभव राजभाषा हिन्दी में) टिकित कराकर शपथ पत्र एवं अभिकथन रूपी 2,000/- प्रतिभूति निर्धारित लेखा शीर्षक "8443 सिविल निक्षेप-00-103-प्रतिभूति" के अन्तर्गत स्टेट बैंक अथवा क्षेत्रागार में जमा करके चलान के माध्यम से जमा करके मूलभूत र सकते। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्राप्त परिवार मिथ्या/फर्जी पाया जाता है तो पर माननीय लोक आयुक्त द्वारा रु. 50,000/- तक की धनराशि का हर्जाना लगाया जा सकता है। देश शासन के समस्त विभाग, सरकारी कंपनियों, सहायक सरकारी कंपनियों, निगम, सोसाइटियों अधिसूचित की गईं से सम्बन्धित शिकायतों के मामले उदाहरणार्थ - लोक सेवकों के कुप्रशासन, पद के दुरुपयोग आदि से सम्बन्धित मामले तथा सेवानिवृत्त देयकों के भुगतान, भूतक आश्रित पद के दुरुपयोग आदि से सम्बन्धित मामलों के निवारण एवं दुरु महिलाओं के पेशन, अनुसूचित

## विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश (लेखा अनुभाग-4)

संख्या : 49/वि.स./23/ले-4/2013 दिनांक 08.01.2016

### सार्वजनिक नीलामी

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय की तीन सरकारी अम्बेस्डर कारों (ए.सी.) माडल वर्ष - 2012 व वर्ष - 2008 की नीलामी रविवार, दिनांक 31 जनवरी, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से गेट नं. - 9 के निकट विधान भवन, लखनऊ में होगी। निष्प्रयोज्य वाहन एतदर्थ गठित नीलामी समिति की स्वीकृति पर सबसे अधिक मूल्य लगाने वाले व्यक्ति/ठेकेदार (कबाड़ी), जिनके पास पैन कार्ड हो, के हाथों बेचा जायेगा तथा पूरा मूल्य (बैट सहित) नीलामी स्थल पर ही एक मुश्त नकद लिया जायेगा, चेक स्वीकार नहीं किया जायेगा। खरीदे गये वाहन को उसी दिन विधान भवन परिसर से बाहर ले जाना होगा।

